N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0310 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/11/2025 18:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/11/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:35 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/11/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/11/2025 18:02:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** PATAWAR VISHRITI BHAWAN, BEAWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ALADEEN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ISMAIL KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1966 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN ROOPNAGAR, BEAWAR CITY, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN ROOPNAGAR, BEAWAR CITY, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AANAND MEGHWAL		पिता:MANGILAL MEGHWAL	1. MEGHWALO KA BAS NADOL,DESURI,RANI,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 7,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। विषयः- रिश्वत मांगने की शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम अलादीन खान पुत्र श्री इस्माईल खान है । मै रूपनगर ब्यावर का रहने वाला हॅू। मेरी माताजी स्व0 हन्जा बानू पत्नि ईस्माईल खान का दिनांक 06.10.2023 को स्वर्गवास हो गया। मेरी माताजी के नाम गांव रूपनगर में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 190,191,201,206,446 संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसका विरासत का नामांकन मेरे व मेरे भाई मो0 सौकिन खान उर्फ हाकम के नाम से खोलने एंव इसी सयुंक्त भूमि मे से मेरे द्वारा सलीम खां पुत्र शहाबूदीन से खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण मेरे नाम से खोलने के बदले में पटवारी श्री आनन्द पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर द्वारा 8000 रूपये रिश्वत मांगे जा रहे है। मैनें 11.10.2025 को रूपनगर सरकारी स्कूल में लगे कैम्प में शपथ पत्र सजरा व मेरी खरीद शुदा भूमि का बेचान नामा की फोटो कॅापी दी, परन्तु अभी तक नाम म्यूटेशन नही खोला है। पटवारी ने मेरी बहिन आमना के नाम पर विरासत का नामान्तरण खोल दिया है। मैने रूपये नही दिये इसलिये मेरा व मेरे भाई का म्यूटशेन नही खोला है। मैं पटवारी आनन्द को रिश्वत के 8000 रूपये नही देना चाहता हॅू। मैं उसे रूपये लेते हुये पकडवाना चाहता हॅू, कृपया कार्यवाही करे। भवदीय -एसडी-अलादीन खां मोबाईल नम्बर [redacted]कार्यवाही पुलिसकार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेरदिनाक 10.11.2025 समय 02.00 पीएम पर उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट परिवादी श्री अलादीन खान पुत्र श्री इस्माईल खान जाति मेहरात मुसलमान उम्र 59 साल निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर पेशा ड्राईवर मोबाईल नम्बर [redacted]ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को पेश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल को अपने कक्ष में तलब कर परिवादी का परिचय करवाया जाकर उक्त रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की। मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी को लेकर अपने कक्ष में उपस्थित आयी। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया एंव परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मै आठवी तक पढा लिखा हूं तथा यह रिपोर्ट मैने स्वंय ने लिखी है एंव हस्ताक्षर भी मेरे ही है। रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने बताया कि मेरी माताजी के देहान्त के पश्चात मेरे द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी को दिया व बाद में जनवरी 2024 में परिवारिक सजरा तैयार करके भी दिया परन्तु उसके बावजूद भी पटवारी ने म्यूटेशन नही खोला व रूपयो की मांग की। उसके बाद मैने इसी सयुंक्त खातेदारी की जमीन में से श्री सलीम पुत्र श्री शहाबुदीन से उसका हिस्सा खरीद लिया तथा म्यूटेशन के लिये उसने खर्चा-पानी मांगा व कहा कि आपका व आपके भाई के नाम का म्यूटेशन एंव खरीद शुदा जमीन का म्यूटेशन खोलने एंव एक मेरे नाम में कोई नाम की त्रुटी है उसका शुद्धीकरण करने के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही है। मै पटवारी आनन्द से बहुत बार मिल चुका हूं परन्तु उसने अभी तक म्यूटेशन नही खोला है। मैनें 11.10.2025 को रूपनगर सरकारी स्कूल में लगे कैम्प में फिर से शपथ पत्र सजरा व मेरी खरीद शुदा भूमि का बेचान नामा की फोटो कॅापी पटवारी आनन्द को दी, परन्तु अभी तक म्यूटेशन नही खोला है, जबकि उसने मेरी बहिन के नाम का म्यूटेशन खोल दिया है। मै आनन्द पटवारी, पटवार हल्का रूपनगर जिला ब्यावर को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। मै उससे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। पूछने पर परिवादी ने बताया कि उसकी पटवारी आनन्द से किसी प्रकार की रजिंश नही है और उधार का लेनदेन भी नही है। समय 02.30 पीएम पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे समझाईश की गई। परिवादी ने बताया कि पटवारी मेरे से रूपये पैसे की सीधे ही बात कर लेता है मै उससे रिश्वत राशि व मेरे काम के सम्बन्ध मे वार्ता कर लूंगा जिस पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकॉर्डर व नया/खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी व मनोज कुमार का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की आवश्यक समझाईश की गई। परिवादी ने बताया कि अब ब्यावर जाने में ज्यादा समय हो जायेगा व दोपहर बाद में पटवारी आनन्द भी फील्ड में चला जाता है। इसलिये कल सुबह मै उससे बातचीत करके उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। परिवादी व मनोज को एक दूसरे के मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई वह कल दिनांक 11.11.2025 को पटवारी से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाये एंव श्री मनोज कुमार को दिनांक 11.11.2025 को ब्यावर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने के निर्देश प्रदान किये गये। दिनांक 10.11.2025 समय 03.35

पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय से रूख्सत किया गया। वायॅस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। 11.11.2025 समय 09.00 ए.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 को कार्यालय अलमारी में से वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु ब्यावर के लिये रवाना किया गया। समय 1.25 पीएम पर कानि मनोज कुमार 01 मय परिवादी श्री अलादीन के उपस्थित कार्यालय आये, श्री मनोज कुमार ने वॉयस रिकॉर्डर बन्द अवस्था मे सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 10.20 ए.एम. पर ब्यावर रोडवेज बस स्टेण्ड पहुचां, जहां पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अलादीन उपस्थित मिला। हम दोनो बस स्टेण्ड से रवाना होकर ब्यावर स्थित पटवार भवन पहुचें जंहा पर अन्य पटवारीगण का भी कार्यालय है। पटवारी आनन्द उस समय तक वंहा नही आया था। थोडा इन्तजार करने के बाद में पटवारी आनन्द का पटवार भवन में आने की जानकारी होने पर मैने पटवार भवन से थोडी दूरी पर वॉयस रिकॉर्डर चालू कर अलादीन को दे दिया व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी श्री अलादीन को पटवार भवन रवाना किया, मै अपनी उपस्थिति छिपाते हुये आस-पास ही मौजुद रहा, करीब 10 मिनट में परिवादी श्री अलादीन वापस आये व वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मैने बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर पटवार भवन पहुचां, जहां मेरे सामने ही पटवार भवन की नाल में पटवारी साहब श्री आन्नद जी मिले मैनें मेरे काम की बात की तो उन्होने कहा कि दो-तीन दिन में आपका काम हो जायेगा, अपन बैठकर बात कर लेंगे वो जल्दी मे थे इसलिये उन्होने ज्यादा बात नही की। उन्हे कंही और जाना था। इसलिये ज्यादा बात नही की। उसके बाद मै वंहा से रवाना होकर आ गय। मेरे द्वारा रिकॉर्डर को बन्द किया व एकान्त मे जाकर रिकॉर्ड को सुना तो उसमें वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। फिर ब्यावर से रवाना होकर हम जरिये बस अजमेर आये। परिवादी ने श्री मनोज कुमार कानि0 के कथनो की ताईद की। वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो श्री मनोज कुमार के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि आज पटवारी जी जल्दी मे थे इसलिये उन्होने पैसो की बात नही की। एक दो दिन में उनसे वापस बात कर लूंगा। वायॅस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड सहित मेरी कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा। परिवादी श्री अलादीन ने बताया कि अब पटवारी जी से परसो अर्थात 13 तारीख को बात करेंगें। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 02.05 पीएम पर परिवादी को रूख्सत किया गया व दिनांक 13.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु ब्यावर में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। दिनांक 13.11.2025 समय 09.05 ए.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 को कार्यालय अलमारी में से वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकालकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु ब्यावर के लिये रवाना किया गया। समय 01.45 पीएम पर कानि मनोज कुमार 01 मय परिवादी श्री अलादीन के उपस्थित कार्यालय आये, श्री मनोज कुमार ने वॉयस रिकॉर्डर बन्द अवस्था मे सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 10.30 ए.एम. पर ब्यावर रोडवेज बस स्टेण्ड पहुचां, जहां पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अलादीन उपस्थित मिला। हम दोनो बस स्टेण्ड से रवाना होकर ब्यावर स्थित पटवार भवन पहुचें थोडा इन्तजार करने के बाद में पटवारी आनन्द का पटवार भवन में आने की जानकारी होने पर मैने पटवार भवन से थोडी दूरी पर वॉयस रिकॉर्डर चालू कर अलादीन को दे दिया व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी श्री अलादीन को पटवार भवन रवाना किया, मै अपनी उपस्थिति छिपाते हुये आस-पास ही मौजुद रहा, करीब 10-12 मिनट में परिवादी श्री अलादीन वापस आये व वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मैने बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर पटवार भवन पहुचां, जहां पटवारी साहब श्री आनंद जी मिले मैनें मेरे काम की बात की व रूपये की बात की तो उन्होने पहले बोला कि पहले कितने बताये थे तो मैने कहा आठ तो फिर उन्होने कहा दो और कर दो बाद मैने 7000 रूपये के लिये कहा तो उन्होने हां भर दी तथा दो तीन दिन में काम करने का कहा। वंहा पर बातचीत के दौराने और भी लोग थे तथा काफी शोर शराबा भी था। हमारे बीच हुई बातचीत को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। मेरे द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को एकान्त में चला कर सुना गया तो वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। वंहा से रवाना होकर बस द्वारा अजमेर आये। परिवादी ने श्री मनोज कुमार के कथनो की ताईद की। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो उसमें वार्तालाप दर्ज होना पाया गया एंव परिवादी व मनोज कुमार के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि मैने उन्हे दो-तीन दिन का कहा है इसलिये दो-तीन दिन बाद ही आगे की कार्यवाही हो सकती है। परिवादी को रिकॉर्ड वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट बनाने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे घर पर कोई काम है इसलिये मुझे बजे 5 तक घर जाना है। कल मै करीब 11 बजे आपके कार्यालय मे आ जाउंगा। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मेरी कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 13.11.2025 समय 03.00 पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर दिनांक 14.11.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया।दिनांक 14.11.2025 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री अलादीन कार्यालय मे उपस्थित आये एंव अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत करवाया। दिनांक 11.11.2025 एंव 13.11.2025 को परिवादी एंव आरोपी श्री आनन्द पटवारी के मध्य हुई वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है जिसकी ट्रासंक्रिप्ट मुर्तिब की जानी है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम पर तहरीर जारी की जाकर सुपुर्द की गई। दिनांक

14.11.2025 समय 11.45 ए.एम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को गवाह तलबी हेतु निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर रवाना किया गया। दिनांक 14.11.2025 समय 12.45 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि कार्यालय मे उपस्थित आया व निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर से दो कर्मचारियों को लेकर उपस्थित आया मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आमदा को अपना परिचय दिया जाकर परिचय पूछा तो अपना परिचय 1.श्री सुरेश मीणा पुत्र श्री हीरलाल मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी मु0पो0 सुवेरी पुलिस थाना खैरवाडा तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक आयुर्वेद विभाग अजमेर .2. श्री चिराग कटारा पुत्र श्री भैरव लाल जाति भील उम्र 24 साल निवासी घाटा का गांव पुलिस थाना ओबरी तहसील ओबरी जिला डुगंरपुर हाल कनिष्ठ सहायक आयुर्वेद विभाग अजमेर के रूप में दिया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी श्री अलादीन का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2025 पढकर गवाहो को सुनाया व दिखाया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे हुवे वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को निकालकर वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके गवाहान को सुनाया गया। दिनांक 14.11.2025 समय 2.15 ए.एम पर परिवादी श्री अलादीन एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 11.11.2025 एंव 13.11.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 से टाईप कर तैयार करवाई गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर लैपटॉप की सहायता से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी श्री मनोज कुमार कानि द्वारा मेरे निर्देश में तैयार किये गये। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी. अंकित किया गया। दो पैन ड्राईव पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम. डी. 1 (न्यायालय हेतु) एंव एम.डी 2 (आरोपी हेतु) अंकित किया गया। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया। सील्ड शुदा आईटम श्री महेश कुमार हैड कानि. नम्बर 10 को मालखाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपुर्द किये गये। अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव सुरक्षित पत्रावली में रखा गया। परिवादी व गवाहो को आवश्यक हिदायत दी जाकर दिनांक 18.11.2025 को समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया गया। दिनांक 18.11.2025 समय 09.45 ए.एम. पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि मै 7000 रूपये की व्यवस्था करके आया हूं आगे की कार्यवाही आज की जा सकती है। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 10.15 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश मीणा व चिराग कटारा कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.20 ए.एम. पर परिवादी श्री अलादीन खान ने आरोपी श्री आनन्द पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 14 नोट, कुल 7,000 रूपये प्रस्तुत किये। जिन पर श्री जितेन्द्र कुमार प्रोग्रामर से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर जितेन्द्र कुमार से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्री जितेन्द्र प्रोग्रामर से परिवादी श्री अलादीन की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाया गया। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.05 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मोबाईल फोन मय मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री अलादीन, स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश मीणा, चिराग कटारा एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री मनोज कुमार नम्बर 01, श्री राजूराम कानि नम्बर 04 मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनो से वास्ते ट्रेप कार्यवाही ब्यावर के लिये रवाना हुये। दिनांक 18.11.2025 समय 12.10 पीएम ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के शहर ब्यावर स्थित जिला न्यायालय के सामने जाने वाली रोड पर पहुंची व पटवारी विश्रान्ति भवन पहुंचे जंहा पर वाहनो को साईड में खडा करवाया जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब की जाकर वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया एंव रिश्वत राशि देने हेतु पटवार विश्राति भवन ब्यावर के लिये रवाना किया तथा श्री कैलाश चारण , श्री रविन्द्र सिंह तथा मनोज कुमार को पीछे पीछे रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस पटवार विश्रान्ति भवन से कुछ पहले ही कोने पर प्राईवेट वाहनो से शेष हमराहीयान सहित मुकिम रही।समय करीब 12.35 पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को श्री मनोज कुमार कानि द्वारा जरिये वाट्सएप कॉल रिश्वत राशि आदान प्रदान की जानकारी दी जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान श्री सुरेश मीणा, श्री चिराग कटारा, श्री राजूराम कानि नम्बर 04 के पटवार विश्रान्ति भवन ब्यावर के प्रथम तल पर पहुंची जंहा पर एक कमरे में परिवादी श्री अलादीन, एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 व श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 उपस्थित मिले जिनके पास ही एक व्यक्ति जिसने गहरी स्लेटी कलर की टी शर्ट एंव काले रंग

की जिंस पहनी हुई थी मौजूद मिला। परिवादी ने उस व्यक्ति को पटवारी आनन्द होना बताया। श्री रविन्द्र सिंह कानि ने वार्यस रिकॉर्डर बन्द अवस्था में सुपुर्द किया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरिक्षत रखा गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर उक्त शख्स से नाम पूछा तो अपना नाम आनन्द पटवारी होना बताया। परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछने पर रिश्वत राशि लेने से इंकार करना बताया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि मै इनके पास आया तो इनके पास एक व्यक्ति बैठा तो बातचीत कर रहा था उसके जाने के बाद में मैने मेरे काम की बात की तो इन्होने ग्राम पंचायत की कोरम में म्यूटेशन का प्रस्ताव रखने का कहा था तथा मैने इनके कहे अनुसार टेबल पर रखे कागज पर रूपये रख दिये फिर ये खडे हो गये व इनके साथ ही बाहर आ गया ये कमरे से बाहर खडे हो गये मै नीचे आ गया इसी दौरान मनोज जी को मिस कॉल कर रिश्वत राशि का ईशारा किया। रिश्वत राशि जो कि आरोपी पटवारी आनन्द के बैठने की कुर्सी के सामने रखी हुई टेबल पर कागज के उपर रखी हुई है, को गवाह श्री सुरेश मीणा गवाह से उठवाया गया तो 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये होना बताया। जिनका मिलान गवाह श्री चिराग कटारा द्वारा पूर्व की फर्द पेशकशी से किया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाया गया। नोटो को गवाह श्री सुरेश के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात पटवार विश्रान्ति भवन ब्यावर से ही साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री आनन्द मेघवाल के बैठने की कुर्सी के सामने रखी टेबल पर रखे कागज के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त कागज का धोवण लिये जाने हेतु सूखी रूई को कागज पर घिसा जाकर रूई को उक्त घोल में डुबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो द्वारा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। धोवण को सुरक्षित रखा गया। आगामी कार्यवाही पटवार विश्रान्ति भवन के प्रथम तल पर बने बडे हॉल में आरम्भ की गई। आरोपी से पूरा नाम पता पूछा गया तो श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर होना बताते हुये करीब दो वर्ष से पदस्थापित होना बताया। रिश्वत राशि पटवारी द्वारा अपने हाथो मे नही लेना बताया गया जिस पर वार्यस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को वार्यस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो परिवादी से सम्बन्धित नामान्तरण का कार्य एंव रिश्वत राशि रखवाये जाने सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में आरोपी पटवारी से पूछने पर कुछ नही बोला व चुप रहा। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर उपरोक्त धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर शिंशियो को सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्रमशः टी-1 व टी-2 अंकित किया गया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गवाह श्री सुरेश मीणा के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखा गया एंव जिस कागज के उपर रिश्वत राशि रखी आरोपी द्वारा रखवाई गई उस कागज के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कागज को भी इसी लिफाफे में रखा जाकर सील्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा नामान्तकरण के सम्बन्ध में दिये गये दस्तावेजो के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया अलादीन ने मुझे पहले कागज दिये थे जो मुझे पता नही अब कंहा है। इसने मुझे कैम्प के दौरान 11.10.2025 को राजकीय विधालय में विरासत का नामांतकरण दर्ज करने हेतु कागज दिये थे मेरे द्वारा उसी दिन ऑन लाईन आवेदन किया गया था अलादीन ने मुझे शपथ-पत्र सर्जरा, इसकी माताजी श्रीमती हंजा बानू का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। मेरे द्वारा मौके पर ही मौका जांच कर प्रमाणित वारिशान जांच हेतु मौका पर्चा तैयार किया गया था जो मेरे द्वारा तैयार किया जाकर हस्ताक्षर किये थे, मौके पर प्रशासन ग्राम पंचायत मेहबुब खांन ने भी हस्ताक्षर किये थे। चूकिं इनका पहले से ही खाता नम्बर 47,54,66 मे नाम दर्ज था इसलिये खाते में नामान्तरण खोला जाना था। इसके अलावा कुछ नाम की शुद्धि भी की जानी थी। श्री अलादीन ने एक जमीन भी खरीदी थी जिसका भी म्यूटेशन इसके नाम पर खोला जाना था जिसका प्रस्ताव मै 20 तारीख को होने वाली ग्राम पंचायत की मिटींग मे रखता। सम्बन्धित दस्तावेज के बारे मे पूछने पर अपने बैग मे होना बताया व परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया गया जिनका विवरण इस प्रकार है:-1.राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल का नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र संख्या 2025/32951 दिनांक 11.10.2025 आवेदक श्री अलादीन ऑन लाईन प्रपत्र2.शपथ पत्र सर्जरा की छायाप्रति जो परिवादी श्री अलादीन के मां श्रीमती हंजा बानू से सम्बन्धित है जिसमें बतौर वारिशान परिवादी अलादीन खानं, मौ. शोकिन खान उर्फ हाकाम एंव आमना का नाम अंकित है।3.मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती हंजा बानू दिनांक 06.10.2023 की छायाप्रति4.एक बेचाना नामा श्री सलीम खांन द्वारा श्री अलादीन खान पुत्र श्री इस्माइल खांन को दिनांक 29.09.2025 को राजस्व ग्राम रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 190,191,201,206,446 की भूमि के बेचान से सम्बन्धित है कि छायाप्रतिउपरोक्त समस्त दस्तावेजात के प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर द्वारा श्री अलादीन खान पुत्र श्री इस्माईल खान जाति मेहरात

मुसलमान उम्र 59 साल निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर ने आरोपी श्री आनन्द पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर से परिवादी माताजी के नाम गांव रूपनगर में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 190,191,201,206,446 संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण स्वंय व परिवादी के भाई के नाम खोलने एंव इसी सयुंक्त भूमि मे से परिवादी द्वारा क्रय शुदा खरीद भूमि का नामान्तकरण परिवादी के नाम खोलने की एवज में 8000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 13.11.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 7000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 18.11.2025 को परिवादी से रिश्वत राशि 7000 रूपये प्राप्त कर अपने सामने रखी हुई टेबल पर रिश्वत राशि रखवाई जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया है जो आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री आनन्द मेघवाल, पटवारी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का मौका निरीक्षण पृथक से किया जायेगा। कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री राजूराम कानि नम्बर 04 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। आरोपी श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी, पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर द्वारा जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री आनन्द मेघवाल को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियो ग्राफी यथा आवश्यकता श्री राजूराम कानि नम्बर 04 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर करवाई गई। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समस्त कार्यवाही उपरान्त मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आनन्द मेघवाल के मय हमराहीयान मय जब्त शुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वार्येस रिकॉर्डस, मोबाईल फोन ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुंची। जब्त शुदा आर्टिकल व वार्येस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। गवाहो एंव परिवादी को रूख्सत कर दिनांक 19.11.2025 को समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 19.11.2025 को परिवादी व गवाहान के उपस्थित आने पर कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये रिश्वत राशि लेन देन वार्ता के वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर रूबरू परिवादी श्री अलादीन एंव स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेश मीणा एंव चिराग कटारा की उपस्थिति दिनांक 18.11.2025 को परिवादी श्री अलादीन एंव आरोपी श्री आनन्द मेघवाल के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वार्येस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में रक्षित है, को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि0 01 द्वारा टाईप की गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री अलादीन द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित डिजीटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर के लेपटॉप की सहायता से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मनोज कुमार कानि0 01 द्वारा तैयार किये गये तथा हैश वैल्यु निकाली गई। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात पर परिवादी श्री अलादीन एंव स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेश मीणा एंव चिराग कटारा की उपस्थिति मे दिनांक 18.11.2025 को आरोपी श्री आनन्द मेघवाल पटवारी, पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री राजूराम कानि नम्बर 04 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन कम्पनी सैमसंग में मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेनडीस्क कम्पनी लगाकर की गई थी, उक्त विडियो रिकॉर्डिंग के मैमोरी कार्ड को लैपटॉप से कनैक्ट किया जाकर हैश वेल्यू श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 द्वारा निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किया गया। लैपटॉप की सहायता से मैमोरी कार्ड से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसी पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे पृथक-पृथक रखकर सील्ड चिट किया किया गया। उपरोक्त तीन पृथक-पृथक पैन ड्राईव जिसमें विडियो रिकॉर्डिंग को लिया गया है कि हैश वैल्यू पृथक-पृथक निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किये गये। दो पैन ड्राईव को उन्ही पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया गया। एक पैन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु उसी पेकिंग मे सुरक्षित रखा गया। समस्त जब्त एंव सील्ड शुदा आर्टिकल जो मालखाना में जमा करवाये जाने है, मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया।इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर द्वारा श्री अलादीन खान पुत्र श्री इस्माईल खान जाति मेहरात मुसलमान उम्र 59 साल निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर ने आरोपी श्री आनन्द पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर से परिवादी माताजी के नाम गांव रूपनगर में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर

190,191,201,206,446 संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण स्वंय व परिवादी के भाई के नाम खोलने एंव इसी सयुंक्त भूमि मे से परिवादी द्वारा क्रय शुदा खरीद भूमि का नामान्तकरण परिवादी के नाम खोलने की एवज में 8000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 13.11.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 7000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को परिवादी से रिश्वत राशि 7000 रूपये प्राप्त कर अपने सामने रखी हुई टेबल पर रिश्वत राशि रखवाई जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया हैउपरोक्त श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(मीरां बेनीवाल)निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरां बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आनन्द मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी मेघवालो का बास, नाडोल पुलिस थाना रानी तहसील देसूरी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का रूपनगर तहसील व जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टौंक को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 394 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1757-60 दिनांक 20.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- जिला कलक्टर ब्यावर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** JHABAR MAL **Rank** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): YADAV **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)